

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 58 : Utilisation of Fund

- (1) All sums credited to the Fund shall be utilised by the Government for the welfare of the consumers in such manner as may be prescribed.
 - (2) The Government or the authority specified by it shall maintain proper and separate account and other relevant records in relation to the Fund and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.
-

धारा 58 : निधि का उपयोग

- (1) निधि में जमा की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में उपयोग किया जाएगा, जो विहित की जाए।
 - (2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप में लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।
-